नवभारत टाइम्स
Page No - 13
Date - 13/1/23

सीईओ सचिवालय
डायरी सं.................
दिनांक...................

पहली बार बासमती चावल के लिए मानक किए गए तय

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

देश में बासमती चावल के लिए मानक तय किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत में पहली बार बासमती चावल के उचित तरीके से व्यापार और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने इसके कंप्रिहेंसिव रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को नोटिफाई किया है। इस निर्णय से नकली बासमती चावल एवं कृत्रिम पॉलिश और कृत्रिम रंग से उपभोक्ता को मुक्ति मिलेगी।

नोटिफाई किए गए मानकों के अनुसार बासमती चावल में उसकी प्राकृतिक सुगंध होनी चाहिए और वह कृत्रिम रंग, पॉलिशिंग और कृत्रिम सुगंधों से मुक्त होना चाहिए। ये मानक बासमती चावल के लिए अलग-अलग तरह की पहचान और गुणवत्ता मापदंडों को भी बताते हैं। जैसे अनाज का औसत आकार क्या होना चाहिए? पकाने के बाद उनका बढ़ाव अनुपात, नमी की अधिकतम सीमा, एमाइलोज (स्टार्च) की मात्रा के बारे में बताया गया है। ये मानक 1 अगस्त, 2023 से लागू होंगे।

बासमती चावल भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय की तलहटी में उगाई जाने वाली चावल की एक प्रीमियम किस्म है। यह अपनी अनूठी गुणवत्ता विशेषताओं के कारण चावल की घरेलू और विश्व स्तर पर व्यापक रूप से खपत की जाने वाली एक किस्म है और भारत के पास इसकी ग्लोबल सप्लाई का दो तिहाई हिस्सा है। प्रीमियम गुणवत्ता वाला चावल होने और गैर-बासमती किस्मों की तुलना में अधिक कीमत प्राप्त करने के कारण, बासमती चावल आर्थिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की मिलावट का शिकार होता है, जिसमें अन्य के अलावा, चावल की अन्य गैर-बासमती किस्मों को शामिल कर दिया जाता है। ऐसे में घरेलू और निर्यात बाजारों में स्टैंडर्ड वास्तविक बासमती चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए FSSAI ने बासमती चावल के लिए नियामक मानकों को नोटिफाई किया है।

CEO
Adv. (S)